न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नदबई (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी श्री विनोद कुमार मीना R.A.S.)

प्रकरण सं. 77/2019
किस्म प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए.
निर्णय दिनांक 05.02.2020

1. राजेन्द्रसिंह पुत्र देवीसिंह जाति जाटव निवासी भदीरा तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज0)

प्रार्थी/सायल

बनाम

1. सुनील कुमार पुत्र रामदयाल जाति जाटव निवासी बरबारा तहसील नदबई
2. मोहनसिंह पुत्र रामदयाल जाति जाटव निवासी बरबारा तहसील नदबई
3. रामदयाल पुत्र पूरन जाति जाटव निवासी बरबारा तहसील नदबई
4. उर्मिला पत्नि रामदयाल जाति जाटव निवासी बरबारा तहसील नदबई

अप्रार्थी/गैरसायलान

उपस्थित श्री राजेन्द्रसिंह एण्ड0

श्री अशोक कुमार एण्ड0

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय

प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए.

1. **प्रार्थी द्वारा** प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आरटीए के तहत पेश किया गया।
2. यह है कि हाल आराजी ख0न0 1992/1588 रकवा 0.08 व 1994/1598 रकवा 0.08 वाके ग्राम लुहासा तहसील नदबई पर स्थित है। जिसका सायल व तर0 प्रतिवादी स. 5 की सह खातेदारी की आराजी है। साथ में हाल जमाबंन्दी नक्शा टेस पेश है।
3. यह है कि प्रार्थना पत्र की मंद स. 2 में वर्णित आराजी सायल व तरतीवी प्रति0 5 की सह खातेदारी की आराजी है जिसका गैर सायलान के हाल आराजी न0 1990/1587 रकवा 0.01 व 1991/1588 रकवा 0.07 व 1993/1598 रकवा 0.07 व 199/1599 रकवा 0.02 किता 4 की आराजी है साल की उत्तरी मेढ गैर सायलान से सटी हुई है परन्तु गैर सायलान ने अपनी आराजी ख.न. 1991/1588 व 1993/1598 की चार दिवारी करना चाहते हैं। जिन्होने मौके पर नींव खोदना चालू कर दिया है। गैर सायलान मेरे आराजी ख0न0 1992/1588 रकवा 0.08 व 1994/1598 रकवा 0.08 पर जबरन लठ के बल पर नींव खोदकर पुक्ता निमार्ण करना चाहते है। जबकि गैर सायलनो को ऐसा करने का कानूनी कोई अधिकार नही है। इसलिए सायल– गैर सायललानो को अस्थाई निषेज्ञाया से पाबन्द करा पाने का अधिकारी है कि वे सायल के 3 ऐयर रकवा पर जबरन नींव खेदकर व पुक्ता निमार्ण नही करें।

उप खण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

Scanned with CamScanner

4. यह है कि प्रार्थना पत्र की मंद स. 2 में वर्णित आराजी पूर्व में ही आराजी ख0न0 1598 व 1599 में था जिसके आपसी सहमति से दिनांक 02.08.2017 को न्यायालय श्रीमान उप जिला कलक्टर द्वारा डिक्री कर दिया गया व राजस्व रिकार्ड में इन्द्राजात हो चुका है। जिसके मुझ सायलको दोनो नम्बरान में 0.16 ऐयर दिशा दक्षिण को दिया गया है। सायल मुताबिक कुरा रिपोर्ट सीमाज्ञान कराकर काबिज हो गया परन्तु सायल ने अपने रकवा को पडत रखा इसलिए गैर सायलान ने पड़त रकवा में पशुओ को बांधने के लिए पत्र, गाछ दिये व अब सायल अपने उक्त रकवा को जोतने बाबत गया तो गैर सायलान ने सायल को दिनांक 18.10.2019 को यह धकी दी कि हमने अपनी मर्जी से आपके पड़त रकवा में जो पत्थर गाढ दिये है वही होकर जबरन लठ के बल पर नांव खोदकर पुक्ता निमार्ण करके रहेगे। अगर गैर सायलान द्वारा दी गयी धमकी में कामयाब हो गये तो सायल को अजीम नुकसान ोगा जिसकी पूर्ति जरिये नकद से ना हो सकेगी। इसलिए सायल– गैर सयालान को अस्थाई निषेज्ञाया से पाबन्द करा पाने का अधिकारी है कि वे सायल की खातेदारी एव कब्जे काश्त की आराजी में किसी प्रकार नीवं न खोदे व पुक्ता निर्माण न करें।

5. यह है कि प्राईमाफेसी केस व सुविधा का सन्तुलन सायल के हक में बखुबी साबित है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए. सायल स्वीकार किया जाकर गैर सायलानो को ता फैसला मुकदमा अस्थाई निषेज्ञाया से पाबन्द करे कि वे सायल की खातेदारी एव कब्जे काश्त की आराजी में किसी प्रकार नीवं न खोदे व पुक्ता निर्माण न करें।

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आरटीए के तहत दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किये गये, तथा अप्रार्थी सं. 1 व 3 की ओर से श्री अशोक कुमार एडवोकेट उपस्थित हुये साथ ही अपना जबाब प्रार्थना 212 आर.टी.ए. पेश किया गया। अप्रार्थी सं. 1 व 3 ने अपने जबाब में निम्नांकित तथ्यों का वर्णन किया जो इस प्रकार है :–

1. यह है कि मद सं. 2 प्रार्थना पत्र में आराजी खसरा न.म्बरान 1991/1588, 1993/1598 जो अप्रार्थी स. 2 की खातेदारी की आराजीयात पर ही निमार्ण करना स्वीकार है अन्य कथन मनगढन्त होने से स्वीकार नही है। ना ही किसी प्रकार की धमकी दी गई। तथा प्रार्थी अपनी खातेदारी की आराजी पर ही निमार्ण कर रहा है।
2. यह है कि आराजी ख0न0 1990/1587 रकवा 0.01, 1991/1588 रकवा 0.07, 1993/1598 रकवा 0.07, 1999/1599 रकवा 0.02 कुल रकवा 0.17 वाके ग्राम लुहासा पर अप्रार्थी स. 1 सुनील की न्यायनूर , खातेदारी की आराजी है जो प्रार्थी को न्यायालय के आदेश से मुताबिक विभाजन प्राप्तु हुआ है। उक्त विभाजन से अप्रार्थीगण उपरोक्त आराजी पर काबिज होकर उपयोग उपभोग मे ले रहे है। उपरोक्त आराजी पर अप्रार्थी को पेटोल पम्प लगाने हेतु परमिशन मिल चुकी है। जो कमांक 3 पर एप्लीकेशन कमांक 15469505236893 पर अंकित है। इसलिए प्रार्थी जो पेश से वकील है उसका पेश का दुरूप्योग कर महज अप्रार्थी को परेशान करने के उदेशय से प्रेटोल पम्प को बनने से रोकने के उद्शय से उक्त दावा व प्रार्थना पत्र झूठा पेश किया गया है। ना ही धमकी दी गई। इसलिउ दावा व प्रार्थना पत्र लाने का कॉज ऑफ एक्सन पैदा नही होता है। तथा प्रार्थी एवं अप्रार्थी के खातेदारी की अराजीयात की पैमाइश करवा दी जाये जो सही तथ्य साने हो जायेगे। अत प्रार्थना पत्र खारिज किया जावें।

उप खण्ड अधिकारी

Scanned with CamScanner

सायल/प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र 212 आरटीए के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में नकल जमाबंदी संबत 2075 से 78 वाके ग्राम लुहासा , नकल खसरा न. 1992/1588विवाद ग्राम लुहास, नकल खसरा न. 1994/1598 वाके लुहासा पेश किया गयें।
एवं तहसीलदार नदबई से मौका रिपोर्ट ली गई

वकील अप्रार्थी द्वारा अपने समर्थन में मौखिक साक्ष्य एवं दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में कुछ भी पेश नहीं किया गया। पत्रावली वास्ते बहस नियत की गयी।

हमने उभय पक्षकारान के विद्वान वकीलों की बहस सुनी गयी प्रार्थी द्वारा अपनी बहस प्रार्थना पत्र व अप्रार्थी वकील द्वारा अपनी बहस में जबाब के तथ्यों को दौहराया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया।

1.**प्राईमाफेसी केस**– प्रार्थी वकील ने अपनी बहस में तर्क दिया कि तहसीलदार नदबई की मौका रिपोर्ट अनुसार विवादित आराजीयात में प्रार्थी की खातेदारी का मौके पर 0.01 हैक्ट0 रकवा कम है। लेकिन तहसीलदार नदबई की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी अपनी खातेदारी की आराजी ख0न0 1990/1587 रकवा 0.01 व 1991/1588 रकवा 0.07 व 1993/1598 रकवा 0.07 व 1999/1599 रकवा 0.02 कुल रकवा 0.17 ऐयर पर ही काबिज है, यदि प्रार्थी का मौके पर रकवा कम भी है तो प्रार्थी को सर्वप्रथम यह निर्धारित करना चाहिए कि प्रार्थी का ख0न0 से संलग्न किस ख0न0 में रकवा निहित है। एवं अप्रार्थी अपने आराजी खसरा नम्बरान 1991/1588, 1993/1598, पर पेट्रोल पम्प लगवाना चाहता है जिससे ही के संबंधित दस्तावेज अप्रार्थी द्वारा साक्ष्य के तौर पर पेट्रोल पम्प के संबंधित पेश किये है। अतः यदि अप्रार्थी को निमार्ण न करने व मौके की यथा स्थिति के लिये पाबन्द किया जाता है तो अप्रार्थी को अपूणीय क्षति होगी। अतः प्रथम दृष्ट्या मामला अप्रार्थी के पक्ष में साबित है।

2.**सुविधा का संतुनलन** :–चूंकि प्रकरण प्रथम दृष्ट्या अप्रार्थी के पक्ष में है एवंम अप्रार्थी का प्रार्थी की विवादित आराजी ख0न0 1992/1588 व 1994/1598 पर प्रार्थी की खातेदारी पर कोई अतिकमाण नही है। विवादित आराजी के वर्तमान मौके व कब्जे अनुसार अप्रार्थी द्वारा निमार्ण नही करने व मौके की यथा बनाये रखने में सुविधा सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में नही है। अतः आराजी ख0न0 1991/1588 व 1993/1598 पर सुविधा का सन्तुलन अप्रार्थी के पक्ष में साबित है।

3.**अपूर्णीय क्षति** :– तहसीलदार नदबई की मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी की विवादित आराजी पर अप्रार्थी का अतिक्रमण नही है, एवं यदि अप्रार्थी को उसकी खातेदारी आराजी खसरा नम्बर आराजी खसरा नम्बरान 1991/1588, 1994/1598, पर निमार्ण व मौके की यथास्थिति बनाये रखने के लिए पाबन्द किया जाता है तो अप्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी क्योकि अप्रार्थी अपने खातेदारी अधिकारो से वंचित होने के साथ–साथ अप्रार्थी अपनी आराजी में पेट्रोल पम्प बनाना चाहता है तो स्थगन के कारण निर्माण नही कर सकेगा तो अप्रार्थी को अपूर्ण क्षति होगी।

उप खण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

Web Copy - Not Official

Scanned with CamScanner

अतः उक्त बिंदुवार निर्णय के अनुसार प्राईमाफेसी व सुविधा का संतुलन एवं अपूर्ण क्षति भी अप्रार्थीगण के हक में बखूबी साबित है। अप्रार्थी को विवादित आराजी ख0न0 1991/1588 रकवा 0.08 व 1993/1598 रकवा 0.08 वाके ग्राम लुहासा तहसील नदबई पर वर्तमान मौके व कब्जे अनुसार निमार्ण न करने व मौके की यथा स्थिति बनाये रखने के लिए पाबन्द नही किया जा सकता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 212 आर.टी. खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 05.02.2020 को खुले न्यायालय में लिखया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(विनोद कुमार मीना R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी नदबई

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned with CamScanner